पत्रांक–1 / प्रा0आ0–13 / 2015 1602 / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 2/5/15

विषय– **RTGS/NEFT के माध्यम से कृषि इनपुट की सब्सिडी एवं गृह क्षति अनुदान के वितरण करने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि चक्रवातीय तूफान/ओलापात एवं भूकम्प के फलस्वरूप जानमाल के साथ–साथ कच्चे–पक्के मकानों एवं फसलों की काफी क्षति हुई है। प्रभावित परिवारों एवं संबंधित कृषकों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) से निर्धारित मानदर के अनुसार गृहक्षति अनुदान तथा कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराया जा रहा है। गृहक्षति अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement)/ NEFT (National Electronics Funds Transfer) से किया जाना है।

RTGS/NEFT के माध्यम से कृषि इनपुट सब्सिडी एवं गृह क्षति अनुदान के वितरण करने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् रूप से किया जाता है :

I. <u>कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण</u>

i. सर्वप्रथम राजस्व तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मी (Field functionaries) **सर्वेक्षण** कर वैसे कृषकों, जिनके फसल क्षतिग्रस्त हुए हैं, की एक प्रारंभिक सूची तैयार करेंगे। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा।

ii. प्रारंभिक सूची की Random जांच जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी/वरीय उपसमाहर्त्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि उपसमाहर्त्ता के द्वारा कराई जाएगी। तदोपरांत प्रभावित कृषकों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

iii. अंतिम रूप से तैयार की गई सूची को संबंधित जिलों के बेबसाईट तथा प्रखंडों/ अंचलों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित सूची

पर प्राप्त आपत्तियों की जांच वरीय पदाधिकारियों की टीम से कराकर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

iv. अंतिम रूप से सूची तैयार करने के पश्चात् कृषि इनपुट वितरण के लिए लाभुकों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इन आवेदन पत्रों के साथ लाभुकों के बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, जिसपर बैंक का नाम, खाता सं0, IFSC Code एवं किसान का फोटोग्राफ आदि होता है, की छायाप्रति तथा संबंधित कृषि क्षेत्र की लगान रसीद की छायाप्रति भी प्राप्त की जायेगी। आवेदन पत्रों पर कृषकों के मोबाईल सं0 भी प्राप्त किये जायेंगे (अगर हो तो)।

v. तत्पश्चात् बैंकों द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से राशि अंतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित लाभुक के बैंक खातों में निर्धारित मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान की राशि का अंतरण किया जाएगा।

vi. राशि का अंतरण हो जाने के उपरांत यथासंभव लाभुक को उनके मोबाइल पर सूचना दे दी जाएगी।

vii. यदि RTGS/NEFT के माध्यम से राशि का अंतरण किसी कारण संभव न हो पा रहा हो तो विशेष परिस्थिति में A/C payee चेक के माध्यम से कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा सकता है।

II. <u>गृह क्षति अनुदान का वितरण</u> –

i. कृषि इनपुट सब्सिडी के वितरण से संबंधित प्रकिया ही गृह क्षति अनुदान के वितरण में लागू होगी।

ii. गृह क्षति अनुदान के आवेदन पत्रों में नष्ट/क्षतिग्रस्त मकानों का फोटोग्राफ भी संलग्न किया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्त सभी कागजातों को ग्रामवार प्रखण्ड/अंचल कार्यालय में विधिवत संधारण किया जाएगा ताकि उसे आवश्यकतानुसार लेखा–परीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1602 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/15

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव